मैहर के कृषि प्रक्षेत्र गहबरा को आईसीआरए से जोड़ा जायेगा :शिवराज

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से किया संवाद, देखे स्थानीय किसानों के उत्पाद

नवभारत न्यूज

सतना 11 सितंबर. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैहर जिले के कृषि प्रक्षेत्र गहबरा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गतिविधियों से जोडकर यहां के किसानों को उन्नत तकनीकों एवं कृषि क्षेत्र के विस्तार का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त खाद की उचित व्यवस्था कराने में कोई कसर नहीं छोडी जायेगी।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान गुरूवार को मैहर जिले के कृषि प्रक्षेत्र गहबरा में कृषक संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मैहर जिला गठन के साथ ही मां शारदा लोक के निर्माण की नीव भी पडी है। उन्होंने कहा कि मैहर जिले का तेज गति से विकास होगा और यहां किसानों के लिए कृषि प्रक्षेत्र गहबरा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जोडकर उन्नति तकनीकों का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। कृषि उपकरणों एवं अन्य संसाधनों पर 12 प्रतिशत की जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। अब ट्रैक्टर पर 43 से 63 हजार रूपये तक की कीमत कम हुई है। थ्रेसर के दाम 5 हजार रूपये तक और हार्वेस्टर की कीमतें 2 लाख 35 हजार रूपये तक कम हुई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मोटर साइकिल, साइकिल, किताबें, कपडे सभी सस्ते होंगे तो महंगाई तेजी से घटेगी। दूध के उत्पाद पनीर, घी पर भी जीएसटी समाप्त होगा तो किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि अपना देश आत्मनिर्भर बने और लोगों को रोजगार मिले इसके लिए अपनी रोजमर्रा जरूरतों का समान अपने देश में ही बनी हुई खरीदे। उन्होंने स्वदेशी वस्तुयें खरीदने का संकल्प भी किसानों को दिलाया। कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री होने के नाते ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और गरीबों का कल्याण और उनके लिए पक्के आवास, लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाने का कार्य भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आजीविका मिशन के माध्यम से समूह की हर गरीब दीदी को लखपति बनाने के प्रयास चल रहे हैं. खराब फसलों का मुआवजा भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कंपनियों से बातचीत कर क्लेम दिलाया जायेगा। कार्यक्रम में कृषि मंत्री को कृषि विज्ञान केन्द्र मझगवां द्वारा कृषि साहित्य भेंट किया गया। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर कृषि विभाग तथा उद्यानिकी विभाग द्वारा लगाई गई जैविक कृषि उत्पाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम को प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने भी संबोधित किया। सांसद गणेश सिंह ने मैहर जिले में कृषि प्रक्षेत्र गहबरा में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए कृषि मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने मैहर में कृषि महाविद्यालय, कृषक भवन का निर्माण, कृषि उपज मंडी में भंडारण गोदाम तथा बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला खोलने संबंधी मांग पत्र प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम में इनकी रही उपस्थिति

इस मौके पर मैहर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह, सांसद गणेश सिंह, विधायक मैहर श्रीकांत चतुर्वेदी, चित्रकूट सुरेन्द्र सिंह गहरवार, जिलाध्यक्ष सतना भगवती प्रसाद पाण्डेय, मैहर कमलेश सुहाने, कलेक्टर रानी बाटड, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, उप संचालक कृषि आशीष पाण्डेय, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक नवीन कुमार शर्मा, पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल, एसडीएम दिव्या पटेल, एसडीओपी ख्याति मिश्रा सहित बडी संख्या में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और किसान उपस्थित थे।

खाद के लिए उर्वरक मंत्रालय से बात करेंगे

कृषि मंत्री ने खाद की समस्या पर किसानों को आश्वास्त करते हुए कहा कि खाद की उचित व्यवस्था कराने में कोई कसर नहीं छोडी जायेगी। राज्य शासन और रसायन मंत्रालय के समन्वय से सुचारू व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस साल बारिश अच्छी होने से धान का रकबा बढा है और पिछली साल की तुलना में इस साल सवा गुनी मात्रा में खाद आपूर्ति की जा चुकी है। उन्होंने किसानों से कहा कि धैर्य रखे किसानों को लिए पर्याप्त उर्वरक की व्यवस्था की जायेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन निगरानी रखे ताकि खाद की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो। उन्होंने कहा कि खाद के साथ अन्य चीजों को खरीदने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। किसान अपनी जरूरत की वस्तुएं ले। उन्होंने कहा कि नकली पेप्टी साइड बनाने की फैक्ट्री सील की गई ह

खाद वितरण की सुचारू व्यवस्था करायें : शुक्ल

उप मुख्यमंत्री ने खाद की उपलब्धता व वितरण की जानकारी प्राप्त की

नवभारत न्यूज

रीवा, 11 सितम्बर, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा जिले में खाद की उपलब्धता एवं वितरण की जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों को उपलब्ध खाद के वितरण की सुचारू व्यवस्था करें.

उन्होंने कहा कि खाद की दो रैक कल तक प्राप्त हो जायेंगी जिन्हें डबल लाक केन्द्रों व सहकारी समितियों के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से वितरण करायें साथ ही अभी डबल लाक केन्द्रों व सहकारी समितियों में उपलब्ध यूरिया का भी वितरण सुचारू ढंग से किया जाय ताकि किसानों को परेशानी न हो और वह सुगमता से खाद प्राप्त कर सकें. बैठक में बताया गया कि जिले के चार डबल लाक केन्द्रों गुढ़, उमरी, जवा व चाकघाट में वितरण प्रारंभ है. साथ ही आठ सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से भी किसानों को खाद वितरित की जा रही है. मनगवां व सेमरिया के इफको ई बाजार केन्द्रों में भी उपलब्ध खाद का किसान क्रय कर रहे हैं. आगामी दिनों में प्राप्त होने वाली खाद व उपलब्ध खाद के लिये किसानों को टोकन वितरित कर वितरण किया जा रहा है. प्राप्त होने वाली यूरिया निजी विक्रेताओं को भी उपलब्ध कराई जायेगी ताकि वह भी विक्रय करें और किसान सुविधानुसार यूरिया प्राप्त कर सकें. बैठक में पूर्व महापौर वीरेन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद, प्रभारी कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.

नर घड़ियाल की मौत के कारणों की जांच के लिए दल गठित

चार सदस्यीय टीम करेगी पोस्टमार्टम

नवभारत न्यूज

सीधी, 11 सितम्बर. क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व ने जानकारी दी है कि संजय टाइगर रिजर्व के प्रशासनिक नियंत्रण अंतर्गत सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में इस वर्ष जनवरी माह में चम्बल अभयारण्य से लाए गए एक वयस्क नर घड़ियाल की मृत्यु 09 सितम्बर 2025 की रात्रि को हो गई।

उक्त नर घड़ियाल ने विगत ग्रीष्मकाल में मादा घड़ियालों के साथ सफल प्रजनन किया था, जिसके परिणामस्वरूप 132 शिशु घडियालों का जन्म दर्ज हुआ। वर्षा ऋतु के दौरान यह नर घड़ियाल सोन नदी में जल उपलब्धता के चलते स्वभावानुसार जोगदहा से लगभग 90 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश सीमा तक पहुंच गया था और विगत दो माह से वहीं आसपास विचरण कर रहा था।वर्षाकाल उपरांत नदी में जलस्तर कम होने तथा उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थानीय लोगों द्वारा मछली पकड़ने एवं रेत उत्खनन जैसी गतिविधियों से उत्पन्न खतरों को देखते हुए अभ्यारण्य प्रबंधन द्वारा नर घड़ियाल का रेस्क्यू कर उसे जोगदहा घाट लाया गया। किंतु रेस्क्यू उपरांत घाट पर पहुंचने के उपरांत ही उसकी मृत्यु हो गई।मृत्यु के कारणों की जांच हेतु प्रबंधन ने 4 सदस्यीय पोस्टमार्टम दल का गठन किया है, जिसमें दो पशु चिकित्सक शामिल हैं। विस्तृत कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ज्ञात हो सकेगा। पोस्टमार्टम के उपरांत सोन घड़ियाल अभ्यारण्य प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार शव का निस्तारण किया गया।

डेढ़ लाख का खोया ज्वेलरी से भरा बैग व्यापारी पाकर गदगद

पॉच दिन पूर्व खो गया था बैगा, कोतवाली क्षेत्र का मामला

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 11 सितम्बर। कोतवाली बैढ़न के समीपी सराफा बाजार के रामकृपाल ज्वेलरी दुकान से करीब डेढ़ लाख कीमत के पॉच दिन पूर्व एक बैग खो गया था। जहां थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक जितेन्द्र सिंह सेंगर से मदद मांगी, सीसीटीव्ही फुटेज को खंगालने के बाद खोया बैग मिल गया, प्रधान आरक्षक के इस प्रयास से दुकानदार ने जमकर तारीफ के कसीदे पढ़ा है।

जानकारी के अनुसार रामकृपाल ज्वेलरी दुकान का 1 लाख 50 हजार रुपए का कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा बाजार में 5 दिन पहले गिर गया था सोने का बैग। दुकानदार ने पुलिस मित्र से मांगी मदद। नवानगर थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक जितेंद्र सिंह सेंगर ने सीसीटीव्ही फुटेज की मदद लेकर कड़ी मशक्कत के बाद आज दिन गुरूवार को दुकानदार का खोया हुआ सोने से भरे बैग को कराया वापस और ईमानदारी और कर्तव्य का मिसाल की पेश किया। खुटार इलाके का रहने वाला अज्ञात व्यक्ति ने बाजार में गिरा पाया था सोने से भरा बैग। वापस पाते ही दुकानदार ने प्रधान आरक्षक को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है।

कक्षा 12वीं में टॉपर 133 छात्राओं को मिली स्कूटी

सिंगरौली 11 सितम्बर। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय में टॉप करने वाले प्रदेश के 7832 प्रतिभावान विद्यार्थियों को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कुशाभाउ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल के माध्मय से स्कूटी की चाभी सौपी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सेनिटेशन एवं हाइजीन के लिए 20 से अधिक बालिकाओं के खाते में 61 करोड़ से अधिक की राशि का आतंरण किया गया।

घर में आये मेहमान पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला

छोटे भाई पर उसकाने का आरोप, बड़े भाई ने बोला हमला

नवभारत न्यूज

चितरंगी 11 सितम्बर। चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम सुकहर में गत दिवस की रात घर में आये मेहमान को सुनियोजित तरीके से मानने के लिए पहले डायल 112 नम्बर पर झूठी जानकारी देकर गुमराह करने का प्रयास किया। वहीं छोटे भाई ने बड़े भाई को उसकाते हुये मेहमान पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया है। जिसकी हालत नाजुक है और जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर बैढ़न में ईलाज चल रहा है।

चितरंगी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रामसुरेश भारती ने डायल 112 नंबर पर झूठी सूचना दी गई कि घर में एक चोर घुसा है। पुलिस उसको पकड़कर ले जाये। चितरंगी पुलिस के अनुसार मौके पर पहुंच कर पाया कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में खून से लथपथ पड़ा था। पूछतांछ में रामसुरेश ने बताया कि उक्त व्यक्ति घर में चोरी के उद्देश्य से घुसा था। पुलिस ने घायल की स्थिति में अस्पताल चितरंगी में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार घायल राजेश बंसल दो दिन से उसके घर में मेहमान के रूप में रुका था। रामसुरेश और राजेश का बहस हुआ था, जिसकी जानकारी राधेश्याम को उसका भाई बताया। रामसुरेश भारती से राधेश्याम भारती ने मोबाइल से कहा कि जान से मार दो मैं सब देख लूंगा। तत्पश्चात रामसुरेश ने राजेश बंसल को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में भर्ती कराया। चिकित्सको का मानना था कि सिर में गहरी चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय बैढ़न के लिए रिफर कर दिया है। स्थिति अति नाजुक होने से तहसीलदार चितरंगी ऋषि नारायण सिंह ने मरणासन हालत में कथन भी लेख किया गया है। अब जिंदगी मौत से जूझ रहा है। फरियादी की रिपोर्ट व बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 61(1) 62, 109, (1) 3,5 पंजीबद्ध करते हुये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुधेश तिवारी अतिरिक्त टीम के सदस्य सुरेंद्र यादव रमेश कोल, आरडी वर्मा, मुकेश पांडेय, सुभाष पाल, लमलेश सिंह, शिवकुमार पटेल, शुदर्शन चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आवश्यकता है

सनफ्लैग वरठी भंडारा/नागपुर मे सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है उचाई 5'.7", 8 घंटे डयूटी - 26 दिन, 4 छुट्टी, (डाक्यूमेट के साथ मिले) साथ ही रहने की व्यवस्था.

संपर्क :- 8855828901 (Soni Sir) 9766188388 15Sep/25

ऑपरेशन फास्ट के तहत सीधी में फर्जी सिम विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सीधी, 11 सितम्बर. प्रभारी पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अरविंद श्रीवास्तव के निर्देशन में, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन फास्ट के तहत जिले में गठित टीम द्वारा फर्जी सिम विक्रेताओं पर की गई कार्रवाई।

थाना अमिलिया पुलिस द्वारा जांच में पाया गया कि ग्राहकों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर कई फर्जी सिम कार्ड जारी किए गए। इसमें सिम विक्रेता बृजेश गुप्ता चुरहट रोड अमिलिया, पंकज गुप्ता राजग कोठार हिनौती व गजरही,आकाश कुमार पटेल सिहावल रोड अमिलिया,अमन कुमार पटेल अमरा रोड अमिलिया, पुरुषोत्तम गुप्ता पतुलखी हाई स्कूल के पास लौआ ओं की संलिप्तता सामने आई।इनके विरुद्ध धारा 318(4) बीएनएस 2023 एवं 66(सी) आईटी एक्ट 2008 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है जिसकी जांच गति टीम द्वारा की जा रही है।

पुलिस ने नागरिकों से की अपील- सीधी पुलिस ने नागरिकों से अपील किया है कि अपने दस्तावेज किसी अज्ञात व्यक्ति/असत्यापित दुकानदार को न दें तथा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या साइबर हेल्पलाइन पर दें।

थाना कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जांच में पाया गया कि उमेश गुप्ता हॉस्पिटल रोड सीधी ने ग्राहकों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उनके नाम पर फर्जी सिम कार्ड जारी किए और अन्यत्र भेज दिए, जिनका उपयोग साइबर अपराधों में हुआ।इस पर उसके विरुद्ध धारा 318(4) बीएनएस 2023, 66(सी) आईटी एक्ट 2008 एवं दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 42(3)(ए), 42(6) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

टीम का रहा सराहनीय योगदान

कार्रवाई में डीएसपी मुख्यालय अमन मिश्रा एवं एसडीओपी चुरहट आशुतोष द्विवेदी, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल, थाना प्रभारी अमिलिया निरीक्षक राकेश बैस, प्रधान आरक्षक रणबहादुर सिंह कोतवाली,आरक्षक अनुराग यादव कोतवाली, संदीप चतुर्वेदी एवं दीपेंद्र सिंह अमिलिया व साइबर सेल सीधी से प्रदीप मिश्रा कृष्ण मुरारी द्विवेदी का सराहनीय योगदान रहा।

रेत के अवैध उत्खनन में ट्रैक्टर जब्त

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 11 सितम्बर। जियावन पुलिस ने आज रेत का अवैध उत्खनन कर परविहन कर रहे एक बिना नम्बर के सोनालिका ट्रैक्टर को दबोचते हुये जप्त कर ट्रैक्टर चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध कार्रवाई की है।

जियावन थाना प्रभारी निरीक्षक डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह के अनुसार मुखबिरों के जरिये एसडीओपी गायत्री तिवारी को भी सूचना मिली कि थाना क्षेत्र जियावन में एक बिना नम्बर का सोनालिका ट्रैक्टर उत्खनन कर परिवहन करने जा रहा है। पुलिस टीम रवाना हुई। जहां रेता से लोड ट्रैक्टर को चालक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। पुलिस अपने कब्जे में लेते हुये ट्रैक्टर चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध बीएनएस की धारा 303(2), 317(5) एवं 4/21 खान खनिज अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी जियावन डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह, सउनि मोहनलाल प्रजापति, आर रूपेश अलावा, दिनेश कुमार का योगदान रहा है।

विभागीय अधिकारी सीएम डैसबोर्ड के सभी पैरामीटरो लाए प्रगति

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 11 सितम्बर। कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा सीएम डैसबोर्ड की समीक्षा करते हुये विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी अपने विभागो से संबंधित सीएम डैसबोर्ड चिन्हित परामीटरो में तीन दिवस में प्रगति लाना सुनिश्चित करे।

कलेक्टर ने सभी विभागों को तीन दिवस के अंदर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिन विभागों की सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग कमजोर है, उन्हें विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही सभी विभागों को निरंतर बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, एसडीएम सृजन वर्मा, डिप्टी कलेक्टर माईकेल तिर्की, सौरभ मिश्रा, उपायुक्त सहकारिता पीके मिश्रा, डीईओ एसबी सिंह, सीएमएचओ डॉ. पुष्पराज सिंह, महिला बाल विकास अधिकारी जीतेन्द्र गुप्ता सहित जिलाधिकारी मौजूद रहे।

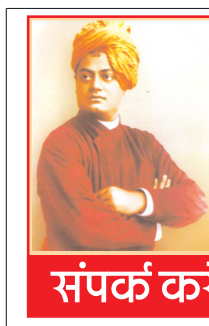

स्वामी विवेकानंद कॉलेज, पन्ना

डी फार्मा - योग्यता - 12वी (गणित/विज्ञान)

कॉलेज लेवल पंजीयन प्रारंभ

संपर्क करें:- मोबाइल- 7999404729, 8103282168

भुगतान न होने से ठप्प हुई सीएम राइज स्कूल की बस सेवा

नवभारत न्यूज

रीवा, 11 सितम्बर, जिले की सीएम राइज स्कूलो में बसो का संचालन शासन द्वारा शुरू किया गया है. लगभग आधा सैकड़ा बसे पिछले तीन माह से बच्चो को लाने लेकर जाने का काम कर रही है. लेकिन भुगतान न होने के कारण बसो के चक्के जाम हो गये है.

बुधवार को बस आपरेटर एवं चालक-परिचालक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहा आपबीती बताते हुए भुगतान कराने के लिये ज्ञापन सौपा है. गौरतलब है कि सीएम राइज स्कूल में बच्चो को लाने ले जाने के लिये बसे लगाई गई और समाया कम्पनी को ठेका मिला. अनुबंध के आधार पर कई बस आपरेटरो ने अपनी बसे भी लगा दी. इसके अलावा चालक-परिचालक भी रखे गये. लेकिन तीन महीने से भुगतान नही दिया जा रहा है, जबकि अनुबंध में कहा गया था कि माह के अंतिम सप्ताह को भुगतान कर दिया जायेगा. कई चालको ने आरोप लगाया कि कम्पनी ने 12 हजार वेतन देने और पीएफ काटने का अनुबंध किया था. लेकिन अनुबंध शर्तो का पालन नही किया जा रहा है, न तो पीएफ काटा जा रहा और न ही पूरा वेतन दिया जा रहा है. बस आपरेटरो का कहना है कि बसे खरीद कर लगा दी गई लेकिन न तो बसो की किश्त दे पा रहे है और न ही डीजल भरवा पा रहे है. परिवार का पालन पोषण भी कठिन हो गया है. कम्पनी द्वारा भुगतान नही किया जा रहा है, लिहाजा बसे बंद करनी पड़ रही है. आधा सैकड़ा से अधिक लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी पीड़िता बताते हुए भुगतान दिलाए जाने को लेकर ज्ञापन सौपा है.

HDFC BANK

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड

शाखाः अलास्का टॉवर, लोधीपारा रोड, शंकर नगर, रायपुर, फोन : 0771-4243149/240

CIN L65920MH1994PLC080618 Website: www.hdfcbank.com

मांग-सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ें।

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन की एक योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) (एचडीएफसी) का प्राधिकृत अधिकारी है। वित्तीय संपत्ति और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किए गए। , यहां नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों से संबंधित नोटिस/नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग नोटिस/नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार. अधोहस्ताक्षरी ने इन नोटिसों को उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते के परिसर में चिपकाया है। उक्त नोटिस की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि, यदि चाहें तो, किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित प्रति अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य कार्यालय समय.

उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर एचडीएफसी को भुगतान करें। यहां नीचे दी गई राशियां उनके संबंधित नामों में अतिरिक्त ब्याज के साथ दी गई हैं। जैसा कि उक्त डिमांड नोटिस में बताया गया है, नीचे कॉलम (सी) में उल्लिखित संबंधित तारीखों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक, ऋण समझौते और उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो, के साथ पढ़ा जाए। . ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित संपत्ति को क्रमशः उक्त उधारकर्ता द्वारा एचडीएफसी के पास गिरवी रखा गया है।

सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्रं.	ऋणी/जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि	मांग सूचना तिथि	बंधक संपत्ति का विवरण
(अ)	(ब)	(स)	(द)	(इ)
1.	**श्री चंदेल प्रशांत सिंह,** फ्लैट-501, फ्लोर-5, श्रीजी हाइट्स, ब्लॉक-15, प्लॉट नंबर-17/81/2, 17/82/2, 17/61, 17/80/2, प.ह.नंबर-113, सिविल लाइन्स, रायपुर छत्तीसगढ़ 492001. **श्री चंदेल प्रशांत सिंह,** 12/195, अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे, खुटेही हुज़ूर, रीवा-मध्य प्रदेश 486001. **श्रीमती चंदेल सुरेश सिंह,** फ्लैट-501, फ्लोर-5, श्रीजी हाइट्स, ब्लॉक-15, प्लॉट नंबर-17/81/2, 17/82/2, 17/61, 17/80/2, प.ह.नंबर-113, सिविल लाइन्स, रायपुर छत्तीसगढ़ 492001. **श्रीमती चंदेल सुरेश सिंह,** 12/195, अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे, खुटेही हुज़ूर, रीवा-मध्य प्रदेश 486001. **श्री चंदेल जे.बी. सिंह,** फ्लैट-501, फ्लोर-5, श्रीजी हाइट्स, ब्लॉक-15, प्लॉट नं.-17/81/2, 17/82/2, 17/61, 17/80/2, प.ह.नं.-113, सिविल लाइन्स, रायपुर छत्तीसगढ़ 492001. **श्री चंदेल जे.बी. सिंह,** 12/195, अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे, खुटेही हुज़ूर, रीवा - मध्य प्रदेश 486001.	₹ 55,36,399/- as on 31-जुलाई-25	30 अगस्त-2025	समस्त भाग एवं आंशिक भाग की फ्लैट-501, फ्लोर-5 श्रीजी हाइट्स ब्लॉक-15, सिविल लाइंस वार्ड क्रमांक 42 प्लॉट क्रमांक- 17/61, 17/80/2, प.ह.नं.-113, सिविल लाइंस, तह. जिला- रायपुर छ.ग.

*अतिरिक्त ब्याज के साथ। भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क जैसा लागू हो आदि।

यदि उक्त उधारकर्ता उपर्युक्त के अनुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो पूरी तरह से जोखिम में है। उक्त उधारकर्ता(ओं)/कानूनी वारिस(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) की लागत और परिणाम के बारे में।

उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को उक्त अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है, चाहे वह बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हो। एचडीएफसी की पूर्व लिखित सहमति। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान : रीवा

दिनांक : 12.09.2025

पंजीकृत पता- एचडीएफसी बैंक हाऊस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम), मुंबई-400020

कृते / प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

ASA

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा मौजा कोलगवां, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित . संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99